



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी में
संलिप्त 1 वर्ष 03 माह से फरार कुख्यात शिकारी पूनमलाल पारधी निवासी
कटनी गिरफ्तार**

प्रेस विज्ञप्ती (28/26,दिनांक 25.05.2026)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में विक्रय करने व म्यांमार के रास्ते अन्य देशों में तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण में 05 आरोपियों को हरियाणा, मेघालय, व मिजोरम से गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रकरण में फरार 6वे आरोपी व शिकारी को पकडने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित कर प्राप्त सूचना के आधार पर दल गठित कर अनूपपुर व आसपास के क्षेत्रों में भेजा गया। दल द्वारा कार्यवाही कर 1 वर्ष 3 माह से फरार आरोपी बब्बू उर्फ पूनमलाल पिता छियालाल पारधी निवासी कटनी को घेराबंदी कर एनएच-43, कोतमा रोड, जिला अनुपपुर से दिनांक 23.05.2026 को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में दिनांक 24.05.2026 को प्रस्तुत कर 07 दिन की फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उक्त आरोपी की तलाश हेतु एसटीएसएफ द्वारा कई बार दबिश दी गई परन्तु आरोपी अपनी लगातार जगह बदल रहा था। आरोपी पूनमलाल, कुख्यात बाघ शिकारी अजीत पारधी का भाई है व शिकारी व तस्कर गटिया व एकीलाल का चाचा है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल